विलोपित विलोपित

76

**न्यायालयः- श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय ~~चंबल संभाग मुरैना~~** ग्वालियर म.प्र

प्र.क्र. /2019 अपील अपील - 0773/2019/भिण्ड/भू०रा०

श्री जितेन्द्र त्यागी अभि
द्वारा आज दि. 4-7-19 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 9-7-19 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 4-7-19
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

दशरथ सिंह पुत्र सीताराम नरवरिया
निवासी ग्राम बलारपुरा तहसील अटेर
जिला भिण्ड (म.प्र.)...........अपीलान्ट

विरूद्ध

1. मुनेश सिंह
2. दिनेश सिंह
3. उमेद सिंह पुत्रगण रामबरन सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम बलारपुरा तहसील अटेर जिला भिण्ड (म.प्र.)................रेस्पोडेन्ट

Jitendra Tyagi 4/7/19

**अपील विरूद्ध न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय चबंल संभाग मुरैना के प्र.क्र. 10 /2019-20 अपील मे पारित आदेश दिनांक 26-06-2019 अतंर्गत धारा 44 (1) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959**

श्रीमान जी ,

अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

1- यह कि रेस्पोडेन्ट ने तहसील न्यायालय में वसीयत के आधार पर नामातंरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था । उक्त नामातंरण आवेदन पर अपीलान्ट उपस्थित हुआ तथा तहसीलदार महोदयन ने अपीलान्ट को आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए 05/02/19 नियत की । तथा प्रकरण तहसीलदार महोदय ने अपीलान्ट की आपत्ति के जबाब हेतु नियत किया था ।

2- यह कि दिनांक 05/02/19 को अपीलान्ट ने आपत्ति प्रस्तुत की और प्रकरण आपत्ति के जबाब के लिए 20/02/19 नियत किया फिर बाद में तहसीलदार महोदय ने 05/02/19 को प्रकरण में पुनश्च: लिख करके रेस्पोडेन्ट उपस्थित हुए और प्रकरण में रेस्पोडेन्ट दिनेश सिंह और उनके ग्वाह अजमेर सिंह, पान सिंह के कथन अंकित करवाये गये और प्रकरण आपत्ति के जबाब के

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(90)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** – अपील-0773/2019/भिण्ड/भू.रा.

| स्था. तथा दि.नांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 13-08-2019 | प्रकरण प्रस्तुत । अपीलान्ट के द्वारा यह अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/2019-20 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-06-2019 से असंतुष्ट होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 44(1) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है ।<br>प्रस्तुत अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 29(2) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में मुख्य रूप से यह आधार दर्शाया गया है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर तहसीलदार गोहद द्वारा नहीं दिया गया है ।<br>ग्राह्यता पर प्रस्तुत अपील में अपीलांट अधिवक्ता के तर्क सुने गये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 26-06-2019 का परीक्षण किया गया । परीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकट होता है कि अपीलांट मुख्य रूप से सुनवाई का अवसर नहीं मिलने का आधार बताकर अपील प्रस्तुत कर रहा है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पंजिका के पैरा 4 में यह बिन्दु है कि तहसीलदार गोहद के प्रकरण क्रमांक 10/2018-19/अ-6(2) में विहित प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जा रही है । आवेदक के अभिभाषक दिनांक 05-02-2019 को उपस्थित रहे, जिससे यह प्रतीत होता है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्राप्त हुआ है । ऐसी दशा में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।<br><br>**(महेश चंद्र चौधरी)**<br>**सदस्य** | |